

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल (म0प्र0)

ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

प्र. क्रमांक 117 दिनांक 17/12/2017



रमागोविन्द द्विवेदी तनय स्व0 गोकुल प्रसाद द्विवेदी, उम्र 52 वर्ष, निवासी  
ग्राम दुआरी, तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

आवेदक

बनाम

अनूप कुमार द्विवेदी तनय रविकमल द्विवेदी, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम दुआरी,  
तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार  
तह0 हुजूर, के प्र0क. 20अ-70/17-18  
मे पारित आदेश दिनांक 09.11.2017  
रीवा म0प्र0

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता  
1959 ई0

मान्यवर

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

- 1- यह कि आराजी नं0 310, 311 रकवा कमशः 0.445हे 0.097हे स्थित ग्राम दुआरी ज0नं0 279 पटवारी हल्का दुआरी, तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 अन्य के अतिरिक्त निगरानीकर्ता के भूमि स्वामी स्वत्व आधिपत्य की भूमि है जो उक्त भूमियो मे सहखातेदार के रूप में आवेदक रमागोविन्द द्विवेदी तनय स्व0 गोकुल प्रसाद द्विवेदी, भुरई वाई विधवा पत्नी स्व0 गोकुल प्रसाद द्विवेदी, शंखी

*(Handwritten signature)*

रमागोविन्द द्विवेदी

*(Handwritten signature)*



(188)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/रीवा/भू-रा0/2017/6242

जिला-रीवा

रमागोविन्द द्विवेदी/ अनूप कुमार द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
19.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री दिवाकर त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 20/अ-70/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 09.11.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p style="text-align: left;"></p>	

द्विवेदी, भुरई वाई विधवा पत्नी स्व0 गोकुल प्रसाद द्विवेदी, शंखी

2018